न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 110 / 13 RCMS id : 2013 / 00056

1. कन्हैयालाल आत्मज बद्रीलाल, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सीमलहेडी हाल अरण्डखेडा की झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. गोपाल आत्मज बद्रीलाल (मृतक)जर्ये कायम मुकामान –
   2 / 1. चन्द्रकला पत्नी स्व. गोपाल
   2 / 2. हरिओम आत्मज स्व. गोपाल
   2 / 3. किरण पुत्री स्व. गोपाल
   जाति बैरागी, निवासी ग्राम सीमलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. रामकरण आत्मज दीपा बंजारा
2. हीरा आत्मज दीपा बंजारा
3. प्रहलाद आत्मज दीपा बंजारा
4. जसवीर आत्मज दीपा बंजारा
   जाति बंजारा, निवासीगण दीपपुरा मोड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
बाबत हक, घोषणा, खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक : 13.03.2020

उपस्थिति : श्री घनश्याम नागर, वादी अभिभाषक

निर्णय

1. वादी की ओर से यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 बावत हक, घोषणा, खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   - ग्राम सीमलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 1 मिन की 15 बीघा भूमि स्थित चली आ रही थी। बाद सेटलमेन्ट उसके नये खसरा नम्बर 139 रकबा 1.76 हैक्टर कायम किये गये। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक भूमि दर्ज है।
   - उपरोक्त भूमि पर वादीगण के पिता बद्रीदास का कब्जा संवत 2012 से लगातार चला आ रहा था। वादीगण के पिता का देहावसान आज से 20 वर्ष पूर्व हो गया और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

Scanned by CamScanner

वादीगण व उसके पिता का कब्जा काश्त राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 अमल में आने के पूर्व से ही चला आ रहा है तथा वादीगण के पिता का नाम शिकमी किरायेदार/ट्रेसपासर की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया हुआ है।

- वादीगण के पिता अनपढ व गरीब व्यक्ति थे जिनको कानून की जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि की किस्म आरानी दोयम है और काबिज काश्त योग्य है। इस कारण उक्त भूमि को अपने नाम नियमन अथवा रेगूलराइज नहीं करा सके। उक्त भूमि वादीगण की आजीविका का साधन हैं और उक्त भूमि के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि की आय से ही वादीगण अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि पर वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का लगातार संवत् 2012 से यानी पिछले 55–60 वर्षो से कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण को उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन के अधिकार प्राप्त हो गये हैं और वादीगण उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं।
- उपरोक्त भूमि से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 का कोई संबंध नहीं हैं और न ही कभी उक्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 का कब्जा काश्त रहा हैं और न ही कभी काश्त की हैं किन्तु प्रतिवादीगण पटवारी हल्का से मिली भगत कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। पूर्व में भी इसी वर्ष दिनांक 26.08.2013 को प्रतिवादीगण एक राय होकर खेत पर आये और वादीगण को धमकी दी कि वे भूमि पर कब्जा छोड दे नहीं तो उनकी सोयाबीन की फसल काट कर रहेगें। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण की सोयाबीन की फसल खडी हुई है और प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 पुनः दिनांक 30.09.2013 को खेत पर आये और वादीगण की सोयाबीन की फसल काटने व भूमि पर जबरन बेदखल कर कब्जा कर लेने की धमकी दी। यदि वादीगण को बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी।
- उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया हैं जिस हेतु यह वाद पेश किया जा रहा हैं। वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण प्रतिवादी नम्बर 5 के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादीगण के पिता व वादी का पिछले 55–60 वर्ष से कब्जा काश्त व एडवर्स पजेशन होने के आधार पर खातेदार दर्ज न करने पर तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 द्वारा जबरन विवादित भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करने व कब्जा करने की दिनांक 30.09.2013 को धमकी देने पर पैदा हुआ।
- वाद पेश कर प्रार्थना हैं कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का निर्णय व डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को ग्राम सीमलहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 139 की 1.76 है0 भूमि का खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जाने की निर्णय व डिक्री सादिर फरमाई जावे। खसरा नम्बर 139 की 1.76 हैक्टर भूमि सिवायचक राजकीय खाते से हटायी जाकर वादीगण के खाते

Scanned by CamScanner

दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम सीमल हेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 139 की 1.76 है0 भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत पैदा नहीं करे। वादीगण को बेदखल नहीं करे व काश्त करने से नहीं रोके तथा प्रति0 नम्बर 5 उक्त भूमि को वादीगण के अलावा किसी अन्य को आवंटन व नियमन नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से ही करावे।

- वादी द्वारा वादपत्र के कथनों के समर्थन में विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी, धारा 91 के नोटिस, मिलान क्षैत्रफल, जुर्माना रशीद आदि पेश किये गये है।

3. प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण की आराजी के अडवा स्थित होने से प्रतिवादीगण ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण उक्त आराजी के खातेदार टीनेन्ट नहीं है। वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया है इसलिये कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः वादपत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4. वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर, दौराने वाद प्रकरण में कार्यम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(i) **आया विवादित आराजी पर वादी का कब्जा व काश्त होने के कारण वादी उक्त आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में खसरा गिरदावरी (प्रपत्र पी.–13-N) संवत 2049–2052, 2053–2056, 2057–206, 2061–2064, 2065–2068 पेश की गई है। इनके अवलोकन से विवादित आराजी सिवायचक लगानी दर्ज है। इसमें स्यालु और उन्हालु की फसल होने का उल्लेख तो है परन्तु उक्त फसल किसके द्वारा काश्त की गई है, इसका कोई उल्लेख नहीं होने से वादीगण के कब्जे व काश्त में होने का कथन प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। अतः यदि वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त भी है तो अतिक्रमी के रूप में है। किसी भी प्रकरण में अतिक्रमी तो बेदखल होने का ही अधिकारी होता है। अतिक्रमी को मालिक बनाये जाने सम्बन्धी कोई कानूनी प्रावधान उपलब्ध नहीं है और न ही किसी अतिक्रमी को खातेदारी प्रदान किये जाने के अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। अतः वादीगण का कथन विधिसंगत नहीं होने तथा स्वीकार योग्य नहीं होने से यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(ii) **आया वादी विवादित आराजी को सिवायचक राजकीय खाते से हटवाई जाकर स्वयं के खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण का यह कथन स्वतः ही स्पष्ट करता है कि विवादित आराजी सिवायचक राजकीय खाते दर्ज है। वादीगण उपरोक्त आराजी पर अतिक्रमी के रूप में कार्यरत है जो तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा द्वारा वादीगण के नाम से जारी धारा 91 के नोटिस तथा उनके द्वारा जमा कराये गये जुर्माना की रशीदों से वादीगण को अतिक्रमी प्रमाणित करते है। विवादित आराजी पर वादीगण ने अपने 50–60 वर्षो के निरन्तर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है। विधिसंगत तथ्य यह है कि लम्बी

Scanned by CamScanner

अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना प्रतिबन्धित किया हुआ है। इस प्रकार की खातेदारी दिये जाने हेतु राजस्व न्यायालय अधिकृत है भी नहीं। अतः वादीगण का उपरोक्त कथन विधिसंगत नहीं होने से यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(iii) **आया विवादित आराजी के संबंध में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु विवादित आराजी काश्तकार के नाम दर्ज होनी आवश्यक है अर्थात विवादित आराजी सम्बन्धित काश्तकार के खाते दर्ज रेकार्ड होने पर ही वह काश्तकार स्थायी निषेधाज्ञा के लिये अपना दावा पेश करता है। जो व्यक्ति खातेदार नहीं है, वह स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करने के लिये अधिकृत नहीं है। अतः वादीगण के विवादित आराजी पर अतिक्रमी होने तथा विवादित आराजी का खातेदार नहीं होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का उपरोक्त कथन विधि द्वारा वर्जित होने से यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(iv) **आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण की आराजी के अडवा स्थित होने से उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है।** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस कथन में प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी अपनी आराजी के अडवा होना अंकित किया है। इसके लिये प्रतिवादी द्वारा अपने खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 402/145 की जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी संवत 2065–2068 की फोटो प्रति पेश की गई है। इनसे वादीगण के खसरा नम्बर 402 का खातेदार घोषित होने का कथन तो प्रमाणित हो रहा है परन्तु विवादित आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 1.76 हैक्टर पर प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त होने का कथन प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त सिद्ध नहीं होने के कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(v) **आया वादीगण उक्त आराजी के खातेदार टीनेन्ट नही है।** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विवादित आराजी सिवायचक राजकीय खाते दर्ज रेकार्ड है तथा वादीगण का उक्त आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज काश्त होना उनके द्वारा पेश धारा 91 के नोटिस व जुर्माना रशीदों से सिद्ध हो रहा है। चूंकि विवादित आराजी वर्तमान में सिवायचक राजकीय खाता दर्ज है तो वादीगण का उक्त आराजी का खातेदार टीनेन्ट होना संभव ही नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का यह कथन, राजस्व अभिलेख के अनुसार सही होने से यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(vi) **अनुतोष ?** प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा निवेदन किया है कि उनके पिता तथा पिता की मृत्यु के बाद विगत 50–60 वर्षो से वादीगण ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण, वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है और विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करने का प्रयास करते है, अतः वादीगण द्वारा विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। वहीं प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया है कि विवादित आराजी, उनके खाते की आराजी के अडवा स्थित होने से विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण ही कब्जा काश्त है। वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है और न ही वादीगण, विवादित आराजी के खातेदार टीनेन्ट है। अतः वाद वादीगण खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

Scanned by CamScanner

दौराने वाद प्रतिवादी और उनके अभिभाषक ने न्यायालय में उपस्थित होना बन्द कर दिया। उनकी ओर से साक्ष्य भी पेश नहीं किये गये, फलस्वरूप प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम सीमलहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 1 मिन की 15 बीघा भूमि स्थित थी, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 139 रकबा 1.76 हैक्टर है। उक्त भूमि पर वादीगण व उनके पिता बद्रीदास का कब्जा काश्त राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 अमल में आने के पूर्व से ही चला आ रहा है तथा वादीगण के पिता का नाम शिकमी ट्रेसपासर की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। वादीगण के पिता अनपढ व गरीब व्यक्ति थे जिनको कानून की जानकारी नहीं होने से उक्त भूमि को अपने नाम नियमन अथवा रेगूलराइज नहीं करा सके। उक्त भूमि वादीगण की आजीविका का साधन हैं और उक्त भूमि के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि की आय से ही वादीगण अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि पर वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का लगातार संवत् 2012 से यानी पिछले 55–60 वर्षो से कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण को उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन के अधिकार प्राप्त हो गये हैं और वादीगण उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं हैं और न ही कभी कब्जा काश्त रहा हैं किन्तु प्रतिवादीगण पटवारी हल्का से मिलीभगत कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वादीगण के पिता व वादी का पिछले 55–60 वर्ष से कब्जा काश्त व एडवर्स पजेशन होने के आधार पर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का निर्णय व डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

6. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर की गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपने विगत 50–60 वर्षो के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है। वादी की ओर से अपने वाद पत्र के साथ जिन राजस्व अभिलेखों की नकलें पेश की गई है, उन जिन पर प्रदर्श नहीं डाले जाने से वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इनमें भी वादी की ओर से जो धारा 91 के नोटिस, खसरा गिरदावरी आदि पेश किये है, जो वादी का विवादित आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज होना दर्शाते है। वादी द्वारा जो जुर्माना रशीदें पेश की गई है उनमें यह अंकित नहीं है कि ये रशीदें किस उद्देश्य की है और किन खसरा नम्बर से सम्बन्धित है। प्रकरण में कायम की गई तनकीयात के परिप्रेक्ष्य मे हम देखते है कि वादीगण, विवादित आराजी पर काबिज है, तो भी अतिक्रमी के रूप में है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वादीगण विवादित आराजी के खातेदार नहीं है जिससे उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा भी प्रदान नहीं की जा सकती है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के

Scanned by CamScanner

आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)
4	धारा 88 के अन्तर्गत केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम धरमा 1988 आर.आर.डी. 364)

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13 मार्च, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/3/2020

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner